न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर
पीठासीन अधिकारी - श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

विविध आवेदन 19/2023

राजेन्द्र कुमार उम्र 62 वर्ष पुत्र सीताराम जाति जाट निवासी ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर राज0

आवेदक

ब ना म

1-तहसीलदार (भू.अभिलेख) तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर
2-भूमि ... राज्य सरकार जरिए तहसीलदार सीकर

अनावेदकगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत सीमा विवाद का विनिश्चय करके स्थायी सीमा चिन्ह निर्मित करने।

उपस्थिति-श्री प्रभातीलाल एडवोकेट-आवेदक की ओर से।

निर्णय

दिनांकः

वकील आवेदक द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत सीमा विवाद का विनिश्चय करके स्थायी सीमा चिन्ह निर्मित करने को प्रस्तुत किया। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार से है ग्राम कहारो की ढाणी पटवार हल्का बाजोर भू अभिलेख निरीक्षक गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 957/900 रकबा 1.2892 हैक्टर बारानी द्वितीय अवस्थित है जिसका आवेदक एकाकी रूप से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है। आवेदक की इस कृषि भूमि खसरा नम्बर 957/900 की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 के उत्तरी तरफ अवस्थित है। इस कृषि भूमि की पूर्वी सीमा की ओर खसरा नम्बर ...0/493 एवं खसरा नम्बर 494 वाके राजस्व ग्राम कहारो की ढाणी की कृषि भूमियां अवस्थित है। आवेदक की इन कृषि भमि के पश्चिमी तरफ खसरा नम्बर 904/505 रकबा 0.3410 हैक्टर भूमि अवस्थित है। इन पडौसी खसरा नम्बरान के दर्ज खातेदारान से आवेदक की कोई व्यक्तिगत जानकारी

नही है ना ही इस आवेदन में खसरा नम्बर 910/493 खसरा नम्बर 904/500 के लगती सीमा का विवाद है बल्कि खसरा नम्बर 494, 502, 506 की तरफ के स्थायी चिन्हो को विगत पांच दिवस पूर्व रात्रि में अज्ञात व्यक्तियो द्वारा उखाड दिया एवं आवेदक की सीमा पर की हुई तारबंदी को भी तोडकर उठाकर ले गये एवं आवेदक की कृषि भूमि खसरा नम्बर 957/900 की उक्त उतरी व उतरी पूर्वी कूट की सीमा के चिन्ह मिटा दिये। इससे पूर्व माह जुलाई 2022 में भी अज्ञात लोगो ने आवेदक की अनुपस्थिति में सीमा चिन्हो को नष्ट कर दिया था जिस पर आवेदक ने तहसीलदार सीकर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके आवेदक की कृषि भूमि खसरा नम्बर 957/900 का सीमा ज्ञान पुख्ता बिन्दू कायम करके तहसीलदार महोदय सीकर के आदेश क्रमांक 22/3352 के अनुसार दिनांक 0.08.2022 को हल्का पटवारी द्वारा किया गया था एवं खसरा नम्बर 957/900 की भूमि मौके पर पुख्ता बिन्दू कायम करके सीमाज्ञान किया गया था एवं आवेदक की कृषि भूमि की उतरी पूर्वी व पश्चिमी सीमा को कायम किया गया था जिसके अनुसार ही आवेदक ने अपनी उक्त सीमाओ पर, सीमा चिन्हो के अनुसार तारबंदी की थी परन्तु असामाजिक तत्वो ने खसरा नम्बर 494, 502, 506 की सीमा पर कायम स्थायी सीमा चिन्हो को नष्ट कर दिया ऐसी स्थिति में आवेदक को धारा 111 सपठित धारा 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत सीमा विवाद का विनिश्चय करके स्थायी चिन्ह निर्मित करने हेतु माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष यह आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। खसरा नम्बर 494, 502, 506 के अनजान व्यक्ति अनावश्यक ही आवेदक से वेमनस्यता रखते है जो कि आवेदक की अनुपस्थिति में सीमा चिन्हो को नष्ट कर विवाद करने की कुमंशा रखते है । सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांकित 01.08.2022 के अनुसार अपनी कृषि भूमि की उतरी व पूर्वी सीमा को निर्धारित करवाकर स्थायी सीमा चिन्ह कायम करवाने का पूर्णतया कानूनी अधिकार प्राप्त है। इसलिए आवेदक की कृषि भूमि खसरा नम्बर 957/900 की उतरी एवं पूर्वी सीमा को निश्चित करके स्थायी सीमा चिन्ह निर्मित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।”

आवेदक की कृषि भूमि खसरा नम्बर 957/900 रकबा 1.2892 हैक्टर की पूर्वी एवं उतरी सीमा के विवाद का विनिश्चय करते हुए पूर्वी एवं उतरी सीमा को कायम कर नपति करके उक्त सीमाओ पर आवेदक के खर्चे पर स्थायी सीमा चिन्ह 30 दिवस में परिनिर्मित करवाने का अनावेदक संख्या 1 को आदेश प्रदान किया जावे।

आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अनावेदकगण को नोटिस जारी किया। अनावेदकगण की तामिल सम्यक रूप से हुई है। जिनकी ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुई है।

बहस आवेदक अधिवक्ता सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात में कृषि भूमि खसरा नम्बर 957/900 रकबा 1.2892 हैक्टर राजस्व ग्राम कहारो की ढाणी तहसील व

जिला सीकर की वर्तमान जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक इस कृषि भूमि का रिकार्डेड एकाकी खातेदार है एवं पत्रावली में सीमाज्ञान की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में आवेदक ने अपनी कृषि भूमि की पूर्वी व उतरी सीमाओ की पत्थरगढी करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में वर्णित तथ्यो व आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से आवेदक द्वारा प्रस्तुत दन पुष्ट व प्रमाणित है। जिसे स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम कहारो की ढाणी पटवार हल्का बाजोर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 957/900 रकबा 1.2892 हैक्टर की पूर्वी एवं उतरी सीमा के विवाद का विनिश्चय करते हुए पूर्वी एवं उतरी सीमा को कायम कर नपति करके उक्त सीमाओ पर आवेदक के खर्चे पर स्थायी सीमा चिन्ह 30 दिवस में परिनिर्मित करवाने का अनावेदक संख्या 1 को आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इलजास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,सीकर।